अपीलीय अधिकरण कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
पीठासीन अधिकारी श्री प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 26/2023 (वरिष्ठ नागरिक अपील)

1.अनिल कुमार नरेडी पुत्र श्री रमेश चन्द नरेडी निवासी मकान नम्बर 1515 ठठेरों का रास्ता, चौडा रास्ता, जयपुर, पुलिस थाना कोतवाली (उत्तर) जयपुर।

अपीलार्थी

बनाम

1. श्रीमती सीता देवी पत्नी स्व॰ श्री गुलाब चन्द नरेडी (मृतका)
   1/1. सुरेश चन्द नरेडी पुत्र स्व॰ श्री गुलाब चन्द नरेडी
   1/2. प्रेम चन्द नरेडी पुत्र स्व॰ श्री गुलाब चन्द नरेडी
   समस्त निवासी मकान नम्बर 1515, ठठेरों का रास्ता, चौडा रास्ता, जयपुर ।
   1/3. श्रीमती कान्ति देवी रावत पत्नी श्री रमेश चन्द रावत
   निवासी नया बाजार, गुना (मध्य प्रदेश)
   1/4. श्रीमती इन्द्रा देवी भालिया पत्नी श्री श्यामसुन्दर भालिया
   निवासी पुरानी अनाज मण्डी, रेवाडी, हरियाणा ।
2. अशोक नरेडी पुत्र स्व॰ श्री गुलाब चन्द नरेडी
   निवासी मकान नम्बर 1515, ठठेरों का रास्ता, चौडा रास्ता, जयपुर।

अप्रार्थीगण/ प्रत्यर्थीगण

3. श्रीमती सुनीता नरेडी पत्नी श्री अनिल कुमार नरेडी
4. रमेश चन्द नरेडी पुत्र स्व॰ श्री गुलाब चन्द नरेडी
   निवासी मकान नम्बर 1515, ठठेरों का रास्ता, चौडा रास्ता, जयपुर।

प्रफोर्मा / प्रत्यर्थीगण

अपील अन्तर्गत धारा 16 माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम–2007 विरूद्व आदेश दिनांक 30.01.2019 माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिकरण एवं उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम प्रकरण संख्या 62/2014 ब उनवानी श्रीमती सीता देवी बनाम अनिल कुमार नरेडी

उपस्थितः–
1. अपीलार्थी स्वयं उपस्थित है।
2. प्रत्यर्थी संख्या 1/1, 1/2, 3 व 4 के प्रतिनिधि उपस्थित है।

आदेश **दिनांक 15.02.2024**

1. संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण एवं कल्याण अधिकरण एवं उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम के प्रकरण संख्या 62/2014 व उनवानी श्रीमती सीता देवी बनाम अनिल कुमार नरेडी में पारित आदेश दिनांक

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

30.01.2029 के विरूद्व माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय एस बी सिविल रिट पीटीशन नम्बर 16020/2022 आदेश दिनांक 01.05.2023 की पालना यह अपील प्रस्तुत की गई है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अधीनस्थ अधिकरण से मिसल मातहत तलब की गई। प्रत्यर्थी संख्या 1/1, 1/2, 3 व 4 की ओर से प्रतिनिधि उपस्थित है। प्रत्यर्थी संख्या 3 की तामील अखबार के माध्यम से कराई गई, किन्तु उपस्थित नही है। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई ।

3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।

4. अपीलार्थी ने दौराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि प्रत्यर्थी संख्या एक स्वर्गीय श्रीमती सीता देवी के द्वारा अपीलार्थी संख्या 01 के विरूद्व दिनांक 19.05.2014 को अधीनस्थ अधिकरण के समक्ष इस आशय का आवेदन प्रस्तुत किया गया था कि अप्रार्थी संख्या 01 ने प्रार्थिया से धोखा व षडयंत्र कर दिनांक 28.07.2009 को मकान नम्बर 1515 का रजिस्टर्ड बख्शीशनामा निष्पादित करवा लिया है। उक्त बख्शीशनामा को अवैद्य व शून्य घोषित किया जाने एवं अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा प्रार्थिया के फस्ट फ्लोर पर स्थित कमरे व रसोई पर अवैद्य रूप से किये गये कब्जा से बेदखल किया जाकर कब्जा दिलाया जावे व प्रार्थी की सोने की दो चूडियां जो अवैधानिक रूप से अप्रार्थी संख्या 2 ने अपने पास रख ली है वो अप्रार्थी संख्या 2 से प्रार्थिया को दिलवाई जावे। अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जावे कि वे प्रार्थिया को शारिरिक एवं मानसिक रूप से परेशान नहीं करे तथा प्रार्थिया के साथ कोई लड़ाई झगड़ा व मारपीट नहीं करे। उक्त परिवाद पर उभय पक्षकारान की बहस सुन कर दिनांक 30.01.2019 को निर्णय पारित कर प्रार्थिया, प्रत्यर्थी संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत आवेदन स्वीकार कर मकान नम्बर 1515 ठठेरों का रास्ता, चौडा रास्ता, जयपुर उप पंजीयक एवं मुद्राक जयपुर पंचम द्वारा दिनांक 28.07.2009 को अनिल कुमार नरेडी के पक्ष मे की गई गि्फ्ट डीड प्रभाव शून्य व कैन्सिल कर दी तथा प्रार्थिया प्रत्यर्थी संख्या 01 के स्वामित्व के मकान में उसे कब्जा दिलवाये जाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्णय की प्रति के साथ लिखे जाने के आदेश फरमा दिये। जिसके विरूद्व अपीलार्थी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में याचिका प्रस्तुत की गई। याचिका के लम्बित रहते हुये प्रत्यर्थी श्रीमती सीता देवी का दिनांक 11.11.2020 को निधन हो गया । माननीय उच्च न्ययालय ने एक अन्य याचिका उनवानी माया देवी बनाम विश्वेशर दयाल व अन्य याचिका संख्या 1941/2021 के साथ सम्बद्व (कनेक्टेड) कर दिनांक 01.05.2023 को निर्णय पारित कर धारा 16 के तहत याचिकाकर्ताओं को निर्णय की दिनांक से चार सप्ताह के भीतर अपीलीय अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने का आदेश दिया गया है। जिसके अनुसरण में यह अपील प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थिया ने स्वेच्छा से उप पंजीयक पंचम के समक्ष उपस्थित हो कर अपीलार्थी के हित में विधिवत रूप से व नियमानुसार बख्शीशनामा तस्दीक कराया गया है, किसी प्रकार की धोखधड़ी नहीं की गई। अधीनस्थ अधिकरण को पंजीकृत बख्शीशनामा को कैन्सिल किया जाकर बख्शीशशुदा सम्पत्ति से बेदखल किया जाकर कब्जा दिलवाये जाने का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। यह अधिकार केवल मात्र सिविल न्यायालय को प्राप्त है। पंजीकृत बख्शीशनामा में किसी भी प्रकार की कोई भी शर्त का उल्लेख नहीं किया गया था और ना ही पंजीकृत बख्शीशनामा में किसी भी प्रकार की कोई भी शर्त उलेखित है। यदि अपीलाधीन आदेश को निरस्त नहीं फरमाया गया तो अपीलार्थी के विधिक अधिकारों पर भारी कुठाराघात होगा और अपीलार्थी अपनी सम्पत्ति से वंचित हो जायेगा जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के प्रतिकूल

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

होगा। कथनों के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त Air online 2022 SC 1357 (Decided on 06-12-2022) Supremme court of india, sudesh chhikara v/s Ramti devi or 2023 supreme (Raj) 230 (Decided on 23-02-2023) Rajasthan high court (Jodhpur), Pokar Ram v/s Maintenance tribunal cum SDM jodhpur अवलोकनार्थ प्रस्तुत है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ अधिकरण का अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.01.2019 को अपास्त किये जाने के आदेश फरमावे।

5. प्रत्यर्थी संख्या 1/1 व 1/2 ने उक्त तर्कों का खण्डन करते हुये दलील पेश की कि प्रत्यर्थी सीता देवी द्वारा अधीनस्थ अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत परिवाद संख्या 62/2014 का अधीनस्थ अधिकरण द्वारा सीतादेवी के जीवित रहते हुये दिनांक 30.01.2019 को निर्णय किया जाकर गिफ्ट डीड दिनांक 28.07.2009 को शून्य घोषित कर दिया गया। अधीनस्थ अधिकरण द्वारा धारा 23(1) के तहत उक्त आदेश पारित किया गया है उक्त आदेश के पश्चात श्रीमती सीता देवी नरेडी पत्नी स्व. श्री गुलाब चन्द नरेडी का स्वर्गवास दिनांक 11.11.2020 को जयपुर में हो गया। सीता देवी के स्वर्गवास के पश्चात माननीय अपीलीय अधिकरण को प्रश्नागत गिफ्ट डीड दिनांक 28.07.2009 को लेकर सुनवाई करने का क्षेत्राधिकार नहीं है। गिफ्ट डीड जो निर्णय दिनांक 30.01.2019 को प्रभाव शून्य फरमा दी गई थी जिस पर अपीलार्थी को सीतादेवी के स्वर्गवास के पश्चात सिविल न्यायालय मे उक्त गिफ्ट डीड को लेकर कानूनी कार्यवाही की जा सकती थी। चूंकि अपीलार्थी ने सीता देवी के स्वर्गवास के पश्चात किसी भी सिविल न्यायालय में अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.01.2019 को चुनौती नहीं दी है। जिसकी नियत अवधि गुजर चुकी है। माननीय अपीलीय अधीकरण को बख्शीशनामा दिनांक 28.07.2009 की जिनाईनेन्स को लेकर सुनवाई करने का क्षेत्राधिकार नहीं है। अप्रार्थी संख्या 1/1, 1/3 व 1/4 को परिवाद में सीतादेवी ने पक्षकार नही बनाया था। इसलिए अपीलार्थी द्वारा अप्रार्थीगण को अपील प्रत्यर्थी के रूप मे पक्षकार बनाये जाने का कोई सैद्वान्तिक अधिकार प्राप्त नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

6. उभय पक्ष की ओर से की गई बहस को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं मिसल मातहत का भलीभांति अवलोकन एवं अध्ययन किया गया ।

7. अपीलार्थी ने यह अपील प्रस्तुत कर अधीनस्थ अधिकरण द्वारा दिनांक 30.01.2019 को निरस्त किये गये बख्शीशनामा को बहाल किये जाने का अनुतोष चाहा है। वरिष्ठ नागरिक या माता–पिता के जीवित रहते हुये उनकी वांछा पर धारा 23 (1) के तहत अधीनस्थ अधिकरण द्वारा अधिनियम के लागू होने के पश्चात किये गये बख्शीशनामा को निरस्त किया जा सकता है। इसी कम में अधीनस्थ अधिकरण के समक्ष परिवाद प्रस्तुत होने परधारा 23 (1) का परिवाद प्रस्तुत होने पर उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर दे कर प्रकरण का मैरिट पर निस्तारण करते हुये प्रार्थी/प्रत्यर्थी संख्या 1 सीता देवी द्वारा द्वारा दिनांक 28.07.2009 को अपीलार्थी के पक्ष में किये गये बख्शीशनामा को कैन्सिल किया गया है। अपीलाधीन आदेश पारित दिनांक 30.01.2019 को प्रार्थिया सीतादेवी जीवित थी। प्रार्थिया का देहान्त दिनांक 11.11.2020 को हुआ है। अपीलाधीन आदेश में हम किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पाते है। अपीलार्थी द्वारा जो न्यायिक दृष्टान्त पेश किये गये है वह इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होते है । फलस्वरूप अपील खारिज की जाती है।

8. आदेश की प्रति हस्व कायदा धारा 16(7) के तहत उभय पक्षकारान को निः शुल्क भेजी जावे। आदेश की प्रति मय मिसल मातहत माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण एवं कल्याण

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

अधिकरण उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

9. निर्णय आज दिनांक **15.02.2024** को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner